न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–5/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), मथुरा

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–874/2026
सी०एन०आर०सं० UPMT01-001818/2026
लक्ष्मन बनाम उ.प्र. राज्य

आदेश

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त लक्ष्मन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–94/2014, धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबंद अधिनियम, थाना–शेरगढ़, जिला मथुरा के अन्तर्गत जमानत प्रदान किये जाने हेतु दिया गया है।

2– अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त पीलिया से ग्रसित हो गया था तथा हाजिर नही आ सका था, हाजिर न आने के कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अजमानतीय गिरफ्तारी अधिपत्र निर्गत कर दिये थे तथा न्यायालय के अनुपालन में थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनांक 24.02.2026 को जिला कारागार मथुरा भेज दिया गया है। अभियुक्त भविष्य में प्रत्येक तिथि पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता रहेगा और विचारण में सहयोग करेगा। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त ने दौरान विचारण जमानत पर रिहा किये जाने की याचना न्यायालय से की है।

3– **अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये –**

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह उल्लिखित किया गया है कि अभियुक्त के नियत दिनांक पर अनुपस्थित रहने के कारण वारंट हो गये थे, उक्त मुकदमें में अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था। अभियुक्त ने जानबूझकर हाजिर न्यायालय में न आने की गलती नहीं की परिस्थितिवश ही ऐसा हुआ है। अभियुक्त भविष्य में हाजिर अदालत आता रहेगा और इसमें कोई कोताही नहीं करेगा। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार कर लिया जाये।

4– **राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) द्वारा प्रस्तुत तर्क –**

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को न्यायालय द्वारा पूर्व में जमानत प्रदान की गयी थी, परन्तु दौरान विचारण अभियुक्त के अनुपस्थित होने के कारण नियत दिनांक को अभियुक्त के विरूद्ध अजमानतीय गिरफ्तारी अधिपत्र जारी कर दिये गये थे। यदि अभियुक्त को जमानत प्रदान की जाती है, तो उसके द्वारा पुनः भविष्य में मुकदमें के विचारण में सहयोग प्रदान नहीं किया जायेगा। अतः अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त करने की याचना की गयी है।

5– **न्यायालय का निष्कर्ष –**

अभियुक्त उक्त मुकदमें में पूर्व से जमानत पर था, परन्तु दौरान विचारण अभियुक्त के अनुपस्थित होने के कारण नियत दिनांक को अभियुक्त के विरूद्ध अजमानतीय गिरफ्तारी अधिपत्र जारी कर कर दिये गये थे। थाना शेरगढ़, जिला मथुरा की पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय, के समक्ष पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त का धारा 346 बी०एन०एस०एस० का वारण्ट बनाकर, अभियुक्त को जिला कारागार भेजा गया, तब से अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त लक्ष्मन के जमानत आवेदन समर्थित शपथपत्र में वर्णित तथ्यों को देखते हुए व अभियुक्त की इस प्रार्थना पर ,कि वह भविष्य में नियत तिथियों पर न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति के संबंध में कोई लापरवाही नहीं बरतेगा एवं वाद की कार्यवाही में सहयोग करेंगा, को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुण–दोष पर बिना मत व्यक्त किये हुये, आधार पर्याप्त पाते हुये, अभियुक्त लक्ष्मन का यह जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

Digitally signed by SWETA VERMA
Date: 2026.03.20 15:31:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>आदेश</u>

अभियुक्त लक्ष्मन की ओर से जमानत आवेदन, अपराध संख्या–84/2014, धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबंद अधिनियम , थाना–शेरगढ़, जिला मथुरा, के प्रकरण में स्वीकार किया जाता है कि अभियुक्त द्वारा **मु० 1,00,000/– रूपये (एक लाख रूपये) का स्वबंध व नवीन दो प्रतिभू (एक परिवारिक सदस्य)** तथा इस आशय का वचन पत्र, कि वह मामले के विचारण में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा एवं अभियुक्त बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० के समय न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा एवं न्यायालय के समक्ष नियत दिनांक को अपनी उपस्थिति के सम्बन्ध में कोई लापरवाही नहीं बरतेगा , प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है। साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि **अभियुक्त लक्ष्मन के स्थायी व वर्तमान पते का सत्यापन भी सम्बन्धित थाने से कराया जाये।** जमानतदारों को आदेशित किया जाता है कि वे धारा–441A दं०प्र०सं० का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार मथुरा को ई–मेल distrctjailmathura@gmail.com पर आवेदक/ अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–16.03.2026

(श्वेता वर्मा)
(Ms. Sweta Verma)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं० 05, मथुरा
ID UP 6428